



# भारतीय खेल प्राधिकरण

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर (पूर्वी द्वार)  
गेट न० – 10, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

विज्ञापन सं० 02/2016 के अन्तर्गत ओलम्पियनों सहित  
सहायक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचना

## सूचना

भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) समस्त भारत में स्थित अपने विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों/उपकेन्द्रों/प्रशिक्षण केन्द्रों में वेतन बैंड-2 {9300-34,800 + ग्रेड वेतन 4200/- रू० (पूर्व संशोधित)} में सहायक प्रशिक्षकों के 176 पदों (सामान्य-89, अनु.जा.-26, अनु.ज.जा.-13 और अ.पि.व.-48) को भरने के लिए भारत के पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। अभ्यर्थी उपरोक्त पदों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अर्थात् [www.sportsauthorityofindia.nic.in](http://www.sportsauthorityofindia.nic.in), [www.nsnis.org](http://www.nsnis.org) एवं [www.yas.nic.in](http://www.yas.nic.in) की वेबसाईट के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन करेंगे (किसी भी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा)।

## 1.0 महत्वपूर्ण तिथियां

सहायक प्रशिक्षक के पद के लिए प्रक्रिया की अनुसूची	
ऑन-लाईन आवेदन पंजीकरण के लिए प्रारंभिक तिथि	10.11.2016 (प्रातः 10.00 बजे)
ऑन-लाईन पंजीकरण के प्रथम एवं द्वितीय चरण के समापन की अंतिम तिथि	01.12.2016 (सायं 06.00 बजे)
भारतीय स्टेट बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	06.12.2016*

\*बैंकिंग व्यवसाय के समापन घंटे

## 1.1 भारतीय खेल प्राधिकरण

भारतीय खेल प्राधिकरण समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (यु०का०खे०मं०) के अन्तर्गत स्वायत्त शासी निकाय है, जिसका उद्देश्य देश में खेलों का विकास और प्रोत्साहन करना है। वर्तमान में, भाखेप्रा का मुख्य उद्देश्य खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित तथा तैयार करना है। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के साथ-साथ देश भर में फैली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधिसंरचना को हासिल करना इसका उद्देश्य है।

## 1.2 पदों की संख्या

पद का नाम	खेल विधा	रिक्त पदों की संख्या
सहायक प्रशिक्षक	तीरंदाजी	12
	एथलेटिक्स	15
	बेडमिंटन	10
	मुक्केबाजी	18
	साईकिलिंग	10
	फुटबॉल	20
	जिम्नास्टिक	10
	हॉकी	10
	जूडो	06
	खो-खो / कबड्डी	04
	लॉन टेनिस	06
	तैराकी	10
	वालीबॉल	08
	जल क्रीड़ा	12
	कुश्ती	15
	भारोत्तोलन	10
	<b>कुल</b>	<b>176</b>

नोट : पदों की संख्या अस्थायी है और भाखेप्रा की आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

## 2.0 आयु एवं योग्यताएं

अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन पंजीकरण के लिए निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करें।

आयु सीमा	आवेदन की अंतिम तिथि 01.12.2016 को 21 से 30 वर्ष
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / व्यवसायिक योग्यता	<p><b>अनिवार्य</b></p> <p>क) भाखेप्रा / ने.सु.रा.खे.सं., पटियाला, भाखेप्रा अथवा किसी अन्य* मान्यता प्राप्त भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण में डिप्लोमा</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>ख) प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के साथ एशियाई खेल / विश्व प्रतियोगिता में भाग लिया हो ।</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>ग) ओलम्पिक खेलों में क्वालीफाई किया हो और भाग लिया हो ।</p>

\* जल क्रीड़ा में नौकायन, केनोईंग एवं क्याकिंग डिप्लोमा उपलब्धि के साथ विचार किया जाएगा।

### 3.0 आयु सीमा में छूट

क.

1. विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 05 वर्ष तक।
2. कार्मिक/अभ्यर्थियों, जो भा0खे0प्रा0 के नियमित कर्मचारी नहीं है परन्तु संविदा आधार पर तैनात किये गये हैं, को भा0खे0प्रा0 में संविदा आधार पर उनकी तैनाती की पूर्ण अवधि के लिए आयु में छूट दी जायेगी अर्थात् ऐसे कार्मिकों को उनकी वास्तविक आयु से ऐसी सेवा अवधि को कम करने की अनुमति होगी और यदि इसके परिणामस्वरूप पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होती है तो उन्हें आयु सीमा सम्बन्धी शर्तों के अन्तर्गत पात्र समझा जायेगा। उन्हें शिक्षा इत्यादि की अन्य योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 05 वर्ष तक

ग. अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 03 वर्ष तक

घ. **01.01.80 से 31.12.89** के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से अधिवासी व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष

च. भूतपूर्व सैनिक जिसमें कमीशंड अधिकारी और ईसीओ/एसएससीओ, जिन्होंने **01.08.2016** तक मिलिट्री सेवा में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो और (1) कार्य की समाप्ति पर ; जिसमें **01.08.2016** तक देय कार्य पूरा करने भी शामिल है अन्यथा दुर्व्यवहार अथवा प्रभावहीनता के मामले में पद से हटाया गया हो अथवा पद मुक्त किया गया हो अथवा (2) मिलिट्री सेवा में शारीरिक विकलांगता अथवा (3) अमान्यता के कारण मुक्त किया गया हो, अधिकतम 05 वर्ष तक।

छ. ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने **31.08.2016** तक 05 वर्षीय सैन्य सेवा के कार्य की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली हो और जिनका कार्य 05 वर्ष से अधिक बढ़ा दिया गया हो और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने एक प्रमाण पत्र जारी किया हो कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से चयन पर 03 माह के नोटिस पर मुक्त किया जाएगा, के मामले में अधिकतम 05 वर्ष तक।

ज. सरकारी संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम 05 वर्ष तक।

झ. भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के रूप में सेवा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को उसके नियोक्ता से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह विज्ञापन की तिथि तक एक सरकारी कर्मचारी है।

- 3.1 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त पैरा 3.0 के किसी अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत भी सम्मिलित किया गया है, उदाहरणतः भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले, जम्मू एवं कश्मीर इत्यादि राज्य में अधिवासी व्यक्ति, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत संचयी आयु में छूट प्रदान किये जाने हेतु पात्र होंगे।
- 3.2 भूतपूर्व सैनिकों की शर्तें उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुनः रोजगार) नियम 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के रूप में परिभाषित किए गए हो।
- 3.3 भूतपूर्व सैनिक और कमीशंड अधिकारियों, जिनमें ईसीओ/एसएससीओ शामिल हैं, जिन्हें उनके अनुरोध पर मुक्त किया गया है, की आयु में छूट स्वीकार्य नहीं होगी।
- 3.4 भाखेप्रा द्वारा वह जन्म तिथि स्वीकृत की जाएगी जो मैट्रिक अथवा सैकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मैट्रिक के समकक्ष भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित मैट्रिक के रजिस्टर, जिसे विश्वविद्यालय अथवा हायर सैकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, में दर्ज हो। इन प्रमाण पत्रों को आवेदन करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। जन्म-पत्री, श्वेत पत्रों, नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्रों, सेवा अभिलेखों जैसे आयु सम्बन्धी किसी भी अन्य दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुदेश के इस भाग में मैट्रिक/सैकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र में उपरोक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- 3.5 अभ्यर्थी ध्यान दें कि केवल आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर मैट्रिक/सैकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा और इसमें परिवर्तन के लिए आगामी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3.6 अभ्यर्थी अपनी जन्म तिथि ध्यान पूर्वक दर्ज करें। किसी आगामी चरण में यदि सत्यापन होता है तो उसके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में एक बार में दर्ज जन्म तिथि में भिन्नता पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

#### 4.0 पद एवं परिलब्धियों इत्यादि के ब्यौरे

- 4.1 महानिदेशक, जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं, और सचिव दोनों को ही भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- 4.2 सहायक प्रशिक्षक का पद प्रशिक्षक संवर्ग में वर्ग 'ख' में प्रवेश स्तर का है।

- 4.3 भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार वर्ग 'क' में अगले संवर्ग यथा प्रशिक्षक, सीनियर प्रशिक्षक और तत्पश्चात् मुख्य प्रशिक्षक के लिए पदोन्नति हेतु पात्र होते हैं। वर्तमान में, मुख्य प्रशिक्षक में 7600/-रु० के ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39,100 के वेतनमान में वेतन बैंड-3 में कार्यरत हैं (पूर्व संशोधित)।
- 4.4 उपरोक्त दर्शाई रिक्तियों के अनुसार रिक्त पदों को भरा जायेगा।
- 4.5 चयनित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है और उनकी वरिष्ठता अखिल भारतीय आधार पर अनुरक्षित की जाएगी।
- 4.6 भाखेप्रा के पास किसी भी अभ्यर्थी को भारत में कहीं भी तैनात करने का अधिकार सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों पर भाखेप्रा का निर्णय अन्तिम और बाध्यकर होगा। इसलिए भारत में कहीं भी कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन करें।
- 4.7 **भत्ते तथा अन्य लाभ** : भर्ती किए गए अभ्यर्थी केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, अवकाश, चिकित्सा लाभ इत्यादि के लिए पात्र होंगे।
- 4.8 **खेल सामान**: प्रशिक्षक नियमानुसार खेल सामान के हकदार होंगे।
- 5.0 चयन प्रक्रिया**
- 5.1 योग्यता मापदण्डों को पूरा करने वाले और श्रेणी 2 (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बेंगलुरु और गुवाहाटी अथवा अन्य स्थान पर आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।
- 5.2 ऑन-लाईन कम्प्यूटर आधारित परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को 1:3 के अनुपात में भाखेप्रा द्वारा निर्धारित/सूचित किये जाने वाले स्थान पर शारीरिक स्वस्थता परीक्षण/कौशल परीक्षण के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।
- 5.3 साक्षात्कार तथा फील्ड परीक्षा पर आधारित चयन समिति द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। (अंतिम वरीयता सूची में निर्धारित करने के लिए शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 30 प्रतिशत, लिखित परीक्षा के लिए 30 प्रतिशत तथा शारीरिक स्वस्थता परीक्षण/कौशल परीक्षण के लिए 30 अंक और साक्षात्कार के लिए 10 अंक दिए जाएंगे।
- 5.4 ऑन-लाईन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, फील्ड परीक्षा और साक्षात्कार की समस्त प्रक्रिया दिनांक **31.12.2016** पूरी किए जाने की सम्भावना है।

## ओलम्पियनों के लिए { श्रेणी 3(ग)}

- 5.5 2(ग) की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा और इस श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तावित किये जाने वाले पदों की संख्या के आधार पर सीधी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जायेगा ।
- 5.6 2(ग) (ओलम्पियनों) श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अलग से की जायेगी और यह आवेदनों पर आधारित जारी रखने के मामले पर आधारित होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को इसके बाद तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा जायेगा।
- 5.7 श्रेणी 2(ग) के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षकों को उनके खिलाड़ियों के रूप में सक्रिय बने रहने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित प्रदर्शन को बनाये रखने तक उन्हें खेल प्रशिक्षण में बने रहने की अनुमति दी जायेगी। तत्पश्चात, इन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य लेने से पूर्व नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा आयोजित खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त करना होगा।
- 5.8 श्रेणी 2(क) और 2(ख) के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय खेल संस्थान डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा और आवेदनों की अन्तिम तिथि के पश्चात इसे भाखेप्रा की वेबसाइट पर डाला जायेगा।

## 6.0 ऑन-लाईन आवेदन भरने के लिए दिशा-निर्देश

पात्र अभ्यर्थियों को भाखेप्रा वेबसाइट [www.sai.aero](http://www.sai.aero) पर उपलब्ध "ऑनलाईन आवेदन प्रारूप" के माध्यम से भरना अपेक्षित है। [www.sportsauthorityofindia.nic.in](http://www.sportsauthorityofindia.nic.in), [www.nsnic.org](http://www.nsnic.org) & [www.yas.nic.in](http://www.yas.nic.in) लिंक के अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज भाखेप्रा को भेजा जाना अपेक्षित नहीं है।

- 6.1 वेबसाइट पर आवेदन दर्ज करने और आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित को पूरा करें :-

- क) वैध ईमेल आईडी : ऑन-लाईन आवेदन फार्म में दर्ज ईमेल आईडी भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रहनी चाहिए। एक बार दर्ज ईमेल आईडी में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ख) चालान फार्म और पंजीकरण पर्ची का प्रिंट आउट लेने की सुविधा।
- ग) ऑन-लाईन भरते समय अभ्यर्थी आवेदन के साथ अपलोड करने के लिए अपने पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और डिजिटल प्रारूप (केवल जेपीजी अथवा जेपीईजी फाईल, प्रत्येक 80 केबी और 30 केबी क्रमशः आकार से कम न हो) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति रखें।

6.2 अभ्यर्थी हमारी वेबसाइट से ऑन-लाईन आवेदन फार्म भर सकते हैं। ऑन-लाईन पंजीकरण साईट दिनांक 10.11.2016 को प्रातः 10 बजे से 01.12.2016 को सायं 06.00 बजे तक खुली रहेगी।

6.2.1 ऑन-लाईन आवेदन भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को यूनिक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ सिस्टम द्वारा जारी की गई पंजीकरण पर्ची डाउनलोड करने की आवश्यकता है, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए रखा जा सकता है।

6.2.2 निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन के साथ अपलोड किये जाने अनिवार्य हैं :-

1. आयु सत्यापन के लिए प्रमाणपत्र
2. आधार कार्ड
3. अनिवार्य योग्यता में सहायक प्रमाणपत्र (प्रशिक्षण में डिप्लोमा, एशियाई खेलों में भाग लेना, ओलम्पिक इत्यादि में भाग लेना इत्यादि)
4. छूट का लाभ उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/प्रतिभाशाली खिलाड़ी इत्यादि का प्रमाणपत्र।
5. प्रभारी, भाखेप्रा योजना द्वारा जारी भाखेप्रा के साथ संविदा अवधि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र।

## 7.0 आवेदन हेतु शुल्क

7.1 प्रत्येक पद के लिए आवेदन शुल्क देय (अप्रत्यर्पणीय) अभ्यर्थी द्वारा केवल भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा के सिस्टम द्वारा जारी चालान के माध्यम से निम्नानुसार भरा जाए :-

क्र०सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क (बैंक प्रभार एवं सेवा कर सहित)
1.	सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी	केवल 569/- i (केवल पांच सौ उन्हत्तर रुपये)

## 7.2 शुल्क में छूट

- महिला अभ्यर्थियों के लिए शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों से भी शुल्क का भुगतान अपेक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की फोटोप्रति संलग्न करनी होगी। ऐसे साक्ष्य के अभाव में और यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो तो आवेदन को "शुल्क का भुगतान नहीं" के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा। बाद में भेजे गए किसी भी पत्राचार अथवा साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदन शुल्क को भाखेप्रा केवल भारतीय स्टेट बैंक के सिस्टम द्वारा जारी चालान के माध्यम से स्वीकार करेगा। किसी अन्य प्रेषण द्वारा प्रस्तुत शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपेक्षित शुल्क जमा करने हेतु भाखेप्रा की वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर उपलब्ध चालान फार्म डाउनलोड करें।

### 7.3 आवेदन शुल्क एवं प्रेषण विधि

- (क) अभ्यर्थी केवल पूर्व प्रिंट किए गए चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जाएं।
- (ख) अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वह "मूल" (अभ्यर्थी प्रति) चालान बनाए और इसे सुरक्षित रखें चूंकि दस्तावेजों के सत्यापन के समय इसे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा (चयन के मामले में)।

### 8.0 सामान्य निर्देश

- (क) उपरोक्त पदों के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) ऑन-लाइन परीक्षा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बेंगलूर और गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से अपना मूल जाति प्रमाणपत्र, सत्यापित प्रति के साथ, प्रस्तुत करना होगा, दस्तावेजों के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय असफल होने पर उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा और उसे अगली चयन प्रक्रिया के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
- (घ) आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय सरकारी सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में "गैर क्रीमी लेयर स्टेटस" के साथ नवीनतम अन्य पिछला वर्ग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (च) केवल पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही केवल ऑन-लाइन टेस्ट में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के खर्च पर उपरोक्त पदों के लिए ऑन-लाइन परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा देनी होगी।
- (छ) शैक्षणिक योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से प्राप्त की गई हो।
- (ज) किसी भी प्रकार के प्रचार और बाहरी दबाव बनाने से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (झ) प्राधिकारी के पास, परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने और बाद की तिथि में प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी अन्य निर्णय के मानदण्डों के आधार पर परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है।
- (ट) चयन समिति का निर्णय चुनौती के लिए उत्तरदायी नहीं है और यह प्रत्येक अभ्यर्थी पर अंतिम और बाध्यकर होगा।
- (ठ) परीक्षा केन्द्र दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बेंगलुरु और गुवाहाटी होंगे।



(ड) पद के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वह विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता और अन्य मानदण्डों को पूरा करता है। गलत/असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर आयोग्य घोषित किया जाएगा और भाखेप्रा ऐसी गलत/असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ढ) आयु, अनुभव इत्यादि के सम्बन्ध में नए अभ्यर्थियों की पात्रता **01.12.2016** तक निर्धारित की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के लिए अभ्यर्थियों, जिनका अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम प्रतिक्षित है, को शर्तों के आधार पर लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें अगली चयन प्रक्रिया में जाने से पूर्व अंतिम परिणाम प्रस्तुत करना होगा।

(त) जहां डिग्री में सीजीपीए/ओजीपीए प्रतिक्षित है वहां अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार **अंको के समकक्ष प्रतिशत** को दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(थ) सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त शासी निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति के समय में दस्तावेजों के समय में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा। यदि, अभ्यर्थी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(द) केवल न्यूनतम योग्यता और अनुभव पूरा करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को यह अधिकार नहीं होगा कि उसे ऑन-लाईन परीक्षा के लिए बुलाया जाए। किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ध) चयनित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(प) यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है अथवा विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण अथवा भर्ती के बाद अथवा कार्यभार ग्रहण करने के समय पंजीकृत अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।

(फ) अभ्यर्थी के पात्रता के उन चरणों को, जिनमें पात्रता के छंटनी की जानी हो, चयन आयोजन के उद्देश्य के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं और भर्ती सम्बन्धी अन्य मामलों से सम्बन्धित सभी मामलों में भाखेप्रा का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा। प्रबन्धन के पास ऑन-लाईन परीक्षा और/अथवा कौशल परीक्षण इत्यादि के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग और बुलाने की संख्या के लिए मानक और विशिष्टताएं नियत करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ब) भाखेप्रा के पास संशोधित/बदलने/प्रतिबंधित/विस्तार/भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने, अगर ऐसा करने की आवश्यकता है तो, का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी अगले नोटिस को जारी करना अथवा किसी भी अगले नोटिस की सूचना देना/तत्पश्चात् कोई कारण न बताना। प्रबन्धन का निर्णय अंतिम होगा और इस मामले के लिए कोई अपील नहीं की जाएगी।

(भ) किसी भी विवाद के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दिल्ली होगा।

- (य) सभी प्रश्न/कोई भी विवादित मामला दिल्ली में होगा।
- (र) कृपया अगले अद्यतन के लिए नियमित रूप से अपने खाते को देखें।
- (ल) इस सम्बन्ध में अधिसूचनाएं/शुद्धिपत्र, यदि कोई है, केवल भाखेप्रा की वेबसाई पर डाल दी जाएगी।
- (व) किसी भी विवादित मामले में रोजगार सूचना का अंगेजी संस्करण वैध माना जाएगा।